रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233918
CG-DL-E-04032022-233918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/ फाल्गुन 13, 1943
No. 168] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

सा.का.नि. 171(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम साधारण नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम साधारण (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम साधारण नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप नियम (1) में,--

(क) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(iख) आडियो-विजियुल" से वीडियो कान्फ्रैंस करने और आडियो-विजियुल इलैक्ट्रोनिक संसूचना के ऐसे अन्य साधन अभिप्रेत हैं, जो किसी बैठक में भागीदारी करने वाले सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ बिना किसी मध्यवर्ती के समवर्ती रूप से संवाद करने और बैठक में प्रभावी रुप से भागीदारी को समर्थ बनाते हैं ;

"(iग) "अध्यक्ष" से नियम 28 के उप-नियम (6) में निर्दिष्ट अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

"(iघ) "कंपनी सचिव" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का कोई सदस्य है और जो निगम के सचिवीय कृत्यों का प्रधान है ;

(ख) खंड (iiक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(iiख) "विशेष कार्य" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(क) किसी वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में, अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कार्य की मदों से भिन्न उसमें किए जाने वाले सभी कार्य; और

(ख) किसी अन्य साधारण बैठक के संबंध में, उसमें किए जाने वाले सभी कार्य।"।

3. उक्त नियमों के, नियम 6 में, --

(क) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण--**इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "निगमित निकाय" का वही अर्थ होगा, जो धारा 4ख की उपधारा (6) में स्पष्टीकरण का है ।";

(ख) खंड (ii) का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के, नियम 27 में, --

(क) खंड क के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) कोई रजिस्टर या कार्यवृत्त या बही रखना या सूचना देना या कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना या जानकारी मांगना या कोई विवरण फाइल करना, सम्पूर्ण माना जाएगा, यदि उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथापरिभाषित किसी इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के प्ररुप में, यथा स्थिति, रखा जाता है, दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, मांगा जाता है या फाइल किया जाता है;"।

5. उक्त नियमों के, नियम 27 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**28. साधारण बैठक--**(1) साधारण बैठक में उपस्थित होने और मतदान का प्रयोग करने हेतु हकदार व्यक्ति ऐसा ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से भी कर सकेंगे जिसके लिए निगम ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत कर सकेगा जो कोई कंपनी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकथित कार्य ढांचे के अधीन ऐसी बैठकों को करने के लिए अंगीकृत कर सके ।

(2) अधिनियम, तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा उप-नियम (1) के अधीन प्रक्रिया में उपबंधित के सिवाय, निगम, निगम के सदस्यों की साधारण बैठक करने और सदस्यों द्वारा किसी संकल्प पर सदस्यों द्वारा मतदान करने के लिए ऐसे सचिवीय मानकों का भी संप्रेक्षण करेगा जो कंपनी अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (10) के अधीन साधारण बैठक करने के लिए किसी कंपनी को लागू हैं ।

(3) निगम की किसी साधारण बैठक के लिए कंपनी सचिव द्वारा या ऐसे निदेशक या निगम के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, सूचना जारी की जाएगी ।

(4) निगम की किसी साधारण बैठक की प्रत्येक सूचना उसी रीति में दी जाएगी जो कंपनी अधिनियम की धारा 101 के अधीन किसी कंपनी की साधारण बैठक के लिए उपबंधित है और यदि किसी विशेष कार्य की किसी मद पर वहां कोई संव्यवहार किया जाना है तो कंपनी अधिनियम की धारा 102 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में यथाउपबंधित विवरण सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा ।

(5) इन नियमों की अनुसूची में अधिकथित किसी साधारण बैठक के लिए प्रत्येक सूचना में, उसे भरने के लिए अनुदेशों सहित, प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित संलग्न होंगे :-

(क) प्ररुप 3 में उपस्थिति पर्ची ; और

(ख) प्ररुप 4 में परोक्षी प्ररुप ।

(6) निगम की किसी साधारण बैठक की अध्यक्षता निगम का अध्यक्ष करेगा :

परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या यदि वह बैठक करने के लिए नियुक्त समय के 15 मिनट के भीतर किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता है या यदि वह किसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अनिच्छुक है तो उपस्थित निदेशक, निदेशकों में से किसी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चयन कर सकेंगे :

परंतु यह और कि अध्यक्ष और उपस्थित निदेशक, उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने में विफल रहते हैं या यदि कोई निदेशक उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य, अपने सदस्यों में से किसी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चयन कर सकेंगे :

परंतु यह भी कि इस उप-नियम के दूसरे परंतुक के अधीन बैठक की अध्यक्षता के लिए सदस्य का चयन करने हेतु उप-नियम (9) के खंड (ख) के अनुसार मतदान की मांग की जाती है तो इसे माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति जो मतदान के परिणामस्वरुप चयनित होता है, अध्यक्ष होगा ।

(7) धारा 4ग की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, --

(क) किसी साधारण बैठक में निगम के समक्ष रखे गए प्रत्येक संकल्प पर प्रत्येक सदस्य को मतदान का अधिकार होगा ; और

(ख) किसी मतदान में उसके मतदान का अधिकार निगम की समादत्त साधारण शेयर पूंजी में उसके शेयर के अनुपात में होगा :

परंतु कोई सदस्य, उसके द्वारा किन्हीं शेयरों पर सम्पूर्ण शेष असंदत्त रकम या उसके भाग के लिए, उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के संबंध में किसी मताधिकार के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक संदत्त रकम की वापस मांग न की गई हो ।

(8) किसी साधारण बैठक में , बैठक के मतदान के लिए रखा गया कोई संकल्प तब तक हाथ उठाकर विनिश्चित किया जाएगा ,जब तक उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया या उपनियम (2) में निर्दिष्ट सचिवीय मानकों के अधीन या उपनियम (9) के अधीन मतदान की मांग नहीं की जाती है या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान नहीं किया जाता है और किसी संकल्प के पारित होने या अन्यथा, की अध्यक्ष द्वारा हाथ उठाकर घोषणा की जाएगी और बैठक के कार्यवृत्त को अंतर्विष्ट करने वाली बही में उस आशय की प्रविष्टि ऐसे संकल्प के पारित होने या अन्यथा, तथ्य का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा ।

(9) किसी कंपनी में सदस्यों द्वारा मतदान के लिए मांग के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित या यथा उपबंधित, किसी साधारण बैठक में हाथ उठाकर किसी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा से पूर्व या घोषणा करने पर कोई मतदान,--

(क) अध्यक्ष द्वारा उसके अपने स्वत:प्रस्ताव पर किए जाने का आदेश किया जा सकेगा ; और

(ख) उपस्थित सदस्यों या परोक्षी द्वारा इस निमित्त की गई मांग पर उसके द्वारा किए जाने वाले आदेश पर किया जा सकेगा, जो,--

(i) निगम में कुल मतदान शक्ति के ऐसे अनुपात से कम नहीं होगा ; या

(ii) ऐसे शेयर धारण करता है जिस पर निगम को ऐसी कुल राशि संदत्त की गई है:

परंतु मतदान के लिए मांग उन व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय वापस ली जा सकेगी, जिन्होंने यह मांग की थी :

परंतु यह और कि बैठक के स्थगन या अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मतदान की मांग तुरंत की जाएगी ।

(10) उपनियम (9) के अधीन निगम की किसी साधारण बैठक में आदेशित मतदान उसी रीति में किया जाएगा जो कंपनी अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (4) से उपधारा (7) में किसी कंपनी के लिए उपबंधित है।

(11) अध्यक्ष, मतदान प्रक्रिया और मतदान पर दिए मतों की संवीक्षा तथा उसपर उसे रिपोर्ट करने के लिए, कंपनी अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (5) के अधीन विहित रीति में उतने व्यक्ति नियुक्त करेगा, जितने वह आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्ति,--

(क) मतपत्रों की व्यवस्था करेंगे, जो इन नियमों की अनुसूची में अधिकथित प्ररूप 5 मे होंगे और उन्हें बैठक में उपस्थित सदस्यों या परोक्षियों को वितरित करेंगे तथा संयुक्त सदस्यों की दशा में, उनके शेयर या

शेयरों के प्रथम नाम धारक को और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे संयुक्त धारक को, जो बैठक में उपस्थित होता है तथा जिसका नाम उनके शेयरों में चक्रानुक्रम में आगे उपदर्शित है ;

(ख) इन नियमों की अनुसूची में अधिकथित प्ररूप 6 में अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

(12) कोई सदस्य, जो एक निगमित निकाय है, निदेशक बोर्ड या अन्य शासित निकाय के संकल्प द्वारा, ऐसे व्यष्टि को, जिसे वह ठीक समझे, किसी साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत व्यष्टि को उस निगमित निकाय की ओर से उन्हीं अधिकारों और शक्तियों, जिसके अंतर्गत किसी परोक्षी द्वारा मतदान का अधिकार भी है, के प्रयोग का अधिकार होगा जो ऐसा निगमित निकाय प्रयोग करे ,मानो वह कोई व्यष्टिक सदस्य हो ।

(13) केंद्रीय सरकार, किसी साधारण बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए, केंद्रीय सरकार के किसी प्राधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, प्राधिकृत कर सकेगी और इस प्रकार प्राधिकृत प्राधिकारी को केंद्रीय सरकार की ओर से उन्हीं अधिकारों और शक्तियों, जिसके अंतर्गत परोक्षी द्वारा मतदान का अधिकार भी है, के प्रयोग का अधिकार होगा, जो केंद्रीय सरकार प्रयोग करे, मानो वह कोई व्यष्टिक सदस्य हो ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,--

(क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के लागू होने और उपनियम (2) में निर्दिष्ट सचिवीय मानकों, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, किसी साधारण बैठक में मतदान (जिसके अंतर्गत आडियो-विजुअल साधनों के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक मतदान और परोक्षी मतदान भी है) का प्रयोग या उपस्थिति, गणपूर्ति या सूचना के संबंधित विषय, डाक मतपत्र, स्थगन, कार्यवृत्त और उसके आनुषंगिक विषय भी हैं ;

(ख) जहां उक्त प्रक्रिया या प्रक्रिया के लिए उपबंधित मानक या किसी कंपनी को लागू मानक, जिसमें किसी पब्लिक कंपनी या कंपनी अधिनियम की धारा 108 के अधीन इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान विहित किया गया है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, वही निगम को लागू होंगे ।"।

6. उक्त नियमों की अनुसूची में प्ररूप 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप 3

[नियम 28(5)(क) देखिए]

उपस्थिति पर्ची

...................., 20......... को .... में ....पूर्वा/अप. पर .... साधारण बैठक

धारित शेयरों की संख्या : ....

फोलियो संख्यांक : ....

या*

डीपी. आईडी : ....

ग्राहक आईडी : ....

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के रजिस्ट्रीकृत सदस्य के लिए एक रजिस्ट्रीकृत सदस्य/परोक्षी हूं और भारतीय जीवन बीमा निगम की ...., 20......... को .... पूर्वा/अप. ....(स्थान) पर .... साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं ।

रजिस्ट्रीकृत सदस्य/परोक्षी के हस्ताक्षर

* डिमैट्रिलाइज्सड प्ररूप में धारित शेयरों के विनिधानकर्त्ताओं को लागू ।

प्ररूप 4

[नियम 28(5)(ख) देखें]

प्रॉक्सी प्ररूप

सेवा में:

भारतीय जीवन बीमा निगम
केंद्रीय कार्यालय
"योगक्षेम"
जीवन बीमा मार्ग
नरीमन पॉइंट
मुंबई - 400 021

सदस्य (सदस्यों) का नाम :	
रजिस्ट्रीकृत पता :	
ईमेल पता:	
फ़ोलियो संख्या : या* डीपी आईडी : ग्राहक आईडी:	

*अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए लागू

मै/हम,भारतीय जीवन बीमा निगम के ___________*शेयरों के सदस्य(सदस्यों) होते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को नियुक्त करते हैं-

(1) नाम:__________________

पता:_____________________

____

ईमेल पता:____________

हस्ताक्षर: __________________

या, उसके उपस्थित न होने की स्थिति में,

(2) नाम:__________________

पता:_____________________

____

ईमेल पता:____________

हस्ताक्षर: __________________

या, उसके उपस्थित न होने की स्थिति में,

(3) नाम:__________________

पता:_____________________

____

ईमेल पता:____________

हस्ताक्षर: __________________

मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में __________ (स्थान) पर,_________ पूर्वाह्न/अपराह्न________ दिन और उसके नीचे दिए गए संकल्पों के संबंध में,किसी स्थगित बैठक आयोजित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की साधारण बैठक में मेरे/हमारे लिए भाग लेने और मेरी/हमारी ओर से मतदान(मतदान पर)करने के लिए __________ की जाएगी :

संकल्प संख्या :

(1) ___________

(2) ___________

(3) ____________

सदस्य(ओं) के लिए राजस्व डाक टिकट लगाना और उस पर हस्ताक्षर करें

_________20__ के दिन पर हस्ताक्षर किए

सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर:

(1)	(2)	(3)

टिप्पण : प्रभावी होने के क्रम में, इस प्ररूप को सम्यक रूप से भरकर निगम के केंद्रीय कार्यालय या निगम के ऐसे अन्य कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए जो बैठक के लिए नियत समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व उसके बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सके ।

* धारित शेयरों की संख्या विनिर्दिष्ट करें

प्ररूप 5

[नियम 28(11)(क) देखें]

मतदान पत्र

सेवा में:

भारतीय जीवन बीमा निगम
केंद्रीय कार्यालय
"योगक्षेम"
जीवन बीमा मार्ग
नरीमन पॉइंट
मुंबई - 400 021

मतदान पत्र

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	विवरण
1.	पहले नामित सदस्य का नाम (ब्लॉक अक्षरों में)	
2.	डाक का पता	
3.	फोलियो नंबर: या* डीपी आईडी: ग्राहक आईडी:	
4.	शेयर का वर्ग	

*अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए लागू

मैं निम्नलिखित रीति में उक्त संकल्प (संकल्पों) के लिए अपनी सहमति या असहमति को अभिलिखित करके नीचे दिए गए सामान्य/विशेष संकल्प (संकल्पों) के संबंध में अपने मत का प्रयोग करता हूं :

क्र.सं.	मद संख्या	मेरे द्वारा धारित शेयर की संख्या	मै संकल्प# की सहमति देता हूँ	मैं संकल्प# से असहमत हूं
1.				

"सदस्य/प्रॉक्सी अपना वोट दर्शाने के लिए नीचे दिए गए बॉक्स में एक टिक [ ] लगाएं।

स्थान:

तारीख:

रजिस्ट्रीकृत सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्ररूप 6

[नियम 28(11)(ख) देखें]

संवीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में:

श्री/कुमारी_____________दिन _____,20____के दिन आयोजित भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की _सामान्य बैठक के अध्यक्ष

प्रिय महोदय / महोदया,

मैं/हम,______________,______________ और_________ ,20_______ ___पर_____ के दिन आयोजित भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की बैठक में

___पर,नीचे प्रगणित संकल्प (संकल्पों) पर लिए गए मतदान के प्रयोजन के लिए संवीक्षक (ओं) के रूप में नियुक्त किया गया, मेरी/हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करें:

(1) ___________अध्यक्ष द्वारा मतदान बंद करने के लिए निर्धारित समय के पश्चात मेरे/हमारे द्वारा रखे गए पहचान चिन्ह के साथ मेरे/हमारी उपस्थिति में मतपेटियों को बंद रखा गया

(2) बाद में बंद मतपेटियों को मेरी/हमारी उपस्थिति और मतदान पत्रों में खोला गया और भारतीय जीवन बीमा निगम/ इसके रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता और प्राधिकरण /भारतीय जीवन बीमा निगम के पास दर्ज प्रॉक्सी द्वारा बनाए गए अभिलेखों के साथ मतदान पत्र परिश्रमपूर्वक संवीक्षा की गई और उनका मिलान किया गया ।

(3) मतदान पत्र, जो अधूरे थे और/या जो अन्यथा दोषपूर्ण पाए गए थे अमान्य माना गया है और अलग रखा गया है। -

या

मुझे/हमें कोई अवैध मतदान पत्र नहीं मिला।

(4) मतदान का परिणाम इस प्रकार है:

(क) संकल्प -______________________

(मद संख्या और संकल्प का शीर्षक पुन: प्रस्तुत करें)

(i) संकल्प **के पक्ष में** मतदान :

सदस्यों की संख्या उपस्थित और मतदान (व्यक्तिगत या प्रॉक्सी द्वारा)	उनके द्वारा डाले गए मतों की संख्या	वैध मतों की कुल संख्या का %

(ii) संकल्प **के विरुद्ध** मतदान :

सदस्यों की संख्या उपस्थित और मतदान (व्यक्तिगत या प्रॉक्सी द्वारा)	उनके द्वारा डाले गए मतों की संख्या	वैध मतों की कुल संख्या का %

(iii) अवैध मत:

सदस्यों की कुल संख्या (व्यक्ति या प्रॉक्सी द्वारा) जिनका मत अवैध घोषित हो गया था	उनके द्वारा डाले गए वोटों की संख्या

(ख) संकल्प -________________________

(मद संख्या और संकल्प का शीर्षक पुन: प्रस्तुत करें)

(i) संकल्प **के पक्ष में** मतदान :

सदस्यों की संख्या उपस्थित और मतदान (व्यक्तिगत या प्रॉक्सी द्वारा)	उनके द्वारा डाले गए मतों की संख्या	वैध मतों की कुल संख्या का %

(ii) संकल्प **के विरुद्ध** मतदान :

सदस्यों की संख्या उपस्थित और मतदान (व्यक्तिगत या प्रॉक्सी द्वारा)	उनके द्वारा डाले गए मतों की संख्या	वैध मतों की कुल संख्या का %

(iii) अवैध मत:

सदस्यों की कुल संख्या (व्यक्ति या प्रॉक्सी द्वारा) जिनका मत अवैध घोषित हो गया था	उनके द्वारा डाले गए वोटों की संख्या

(ग)_________ *

(5) प्रत्येक संकल्प के संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सूची,जिन सदस्यों ने संकल्प के लिए,संकल्प के विरुद्ध मतदान किया था और जिनके मतों को अमान्य घोषित किया गया था, इसके साथ/के रूप में_________# भेजा जाता है।

(6) मतदान पत्रों और अन्य सभी सुसंगत अभिलेखों को सील कर दिया गया और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत कंपनी सचिव / निदेशक को सौंप दिया गया ।

आपको धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

स्थान:___________

तारीख:__________

संवीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

* संकल्पों की संख्या के आधार पर गणना की जानी है जिसके लिए मतदान किया गया है

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्ररूप में विनिर्दिष्ट करें[जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप या पेन ड्राइव,हार्ड डिस्क या अन्य बाहरी डेटा स्टोरेज डिवाइस{निर्दिष्ट और साथ में संवीक्षक द्वारा उस पर विधिवत रूप से लगाए गए पहचान चिह्न किया जाना है} भौतिक रूप में प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए प्रपत्र]"।

[फा.सं.I-13011/03/2021-बीमा.1]

सौरभ मिश्रा,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2022

G.S.R. 171(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, namely:—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Life Insurance Corporation of India General (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—

(a) after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(ib) “audio-visual means” means video conferencing and such other means of audio-visual electronic communication which enable all the persons participating in a meeting to communicate concurrently with each other without an intermediary and to participate effectively in the meeting;

(ic) "chairman" means the chairman referred to in sub-rule (6) of rule 28;

(id) "Company Secretary" shall mean a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India, constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and who is the head of the secretarial function of the Corporation;

(b) after clause (iia), the following clause shall be inserted, namely:—

'(iib) "special business" means,—

(a) in respect of an annual general meeting, all business to be transacted thereat other than items of business specified in sub-section (2) of section 23A of the Act; and

(b) in respect of any other general meeting, all business to be transacted thereat.'.

3. In the said rules, in rule 6,—

(a) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"*Explanation.*—For the purposes of this rule, "body corporate" shall have the meaning assigned to it in the explanation to sub-section (6) of section 4B.";

(b) clause (ii) shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 27,—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) maintenance of a register or minutes or book or giving notice or submission of a certificate or calling for information or filing of a statement shall be satisfied if the same is maintained, given, submitted, called for or filed, as the case may be, in the form of an electronic record as defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);"

5. In the said rules, after rule 27, the following rule shall be inserted, namely:—

"**28. General meetings.—**(1) Persons entitled to attend and to exercise vote at a general meetings may also do so through audio-visual means, for which the Corporation may adopt such procedure as a company may adopt for holding such meetings under the framework laid down by the competent authority in the Ministry of Corporate Affairs.

(2) Save as otherwise provided for in the Act, the rules and regulations made thereunder and the procedure under sub-rule (1), for holding a general meeting of members of the Corporation and voting for a resolution by the members, the Corporation shall also observe such secretarial standards as are applicable to a company for holding general meetings under sub-section (10) of section 118 of the Companies Act.

(3) The notice for a general meeting of the Corporation shall be issued by the Company Secretary, or by such director or other officer of the Corporation as the Board may authorise in this behalf.

(4) Every notice of a general meeting of the Corporation shall be issued in like manner as is provided for a general meeting of a company under section 101 of the Companies Act and, if any item of special business is to be transacted thereat, a statement as provided for in sub-sections (1) and (3) of section 102 of the Companies Act shall be annexed to the notice.

(5) Every notice for a general meeting shall be accompanied by—

(a) an attendance slip in Form 3; and

(b) a proxy form in Form 4,

set out in the Schedule to these rules, along with instructions for filling and submitting the same.

(6) The Chairperson shall be the chairman of a general meeting of the Corporation:

Provided that in the absence of the Chairperson, or if at any meeting he is not present within fifteen minutes of the time appointed for holding the meeting, or if he is unwilling to chair the meeting, the directors present may choose one amongst themselves to be the chairman:

Provided further that in the event of default on the part of the Chairperson and directors present in chairing the meeting as aforesaid, or if no director is present, the members present shall choose one amongst themselves to be the chairman:

Provided also that if a poll is demanded in accordance with clause (b) of sub-rule (9) for choosing the member to chair the meeting under the second proviso of this sub-rule, it shall be taken forthwith and the person elected as a result of the poll shall be the chairman.

(7) Subject to the provisions of sub-section (1) of section 4C,—

(a) every member shall have a right to vote on every resolution placed before the Corporation in a general meeting; and

(b) his voting right on a poll shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the Corporation:

Provided that a member shall not be entitled to any voting rights in respect of any amount paid by him for the whole or a part of the amount remaining unpaid on any shares by him, until the amount paid has been called up.

(8) At a general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded under sub-rule (9) or voting is done through electronic means under the procedure referred to in sub-rule (1) or the secretarial standards referred to in sub-rule (2), be decided on a show of hands, and a declaration by the chairman of the passing of a resolution or otherwise by show of hands and an entry to that effect in the books containing the minutes of the meeting shall be conclusive evidence of the fact of passing of such resolution or otherwise.

(9) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on show of hands in a general meeting, a poll—

(a) may be ordered to be taken by the chairman on his own motion; and

(b) shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by members present thereat or by proxy, who—

(i) have not less than such proportion of the total voting power in the Corporation; or

(ii) hold shares on which such aggregate sum has been paid up to the Corporation,

as is provided for or prescribed under clause (a) of sub-section (1) of section 109 of the Companies Act in respect of demand for poll by members in a company:

Provided that the demand for a poll may be withdrawn at any time by the persons who made the demand:

Provided further that a poll demanded for adjournment of the meeting or appointment of the chairman shall be taken forthwith.

(10) A poll ordered at a general meeting of the Corporation under sub-rule (9) shall be taken in like manner as is provided for a company under sub-sections (4) to (7) of section 109 of the Companies Act.

(11) The chairman shall appoint such number of persons as he deems necessary to scrutinise the poll process and votes given on the poll and to report thereon to him in the manner prescribed under sub-section (5) of section 109 of the Companies Act, and such person or persons shall—

(a) arrange for polling papers, which shall be in Form 5 as set out in the Schedule to these rules, and distribute the same to the members and proxies present at the meeting and, in case of joint

members, to the first named holder of their share or shares and in his absence to such joint holder attending the meeting whose name appears next in the chronological order in their share;

(b)submit a report to the chairman in Form 6 as set out in the Schedule to these rules.

(12) A member which is a body corporate may, by resolution of its Board of directors or other governing body, authorise such individual as it may deem fit to act as its representative at a general meeting, and the individual so authorised shall be entitled to exercise on behalf of that body corporate the same rights and powers, including the right to vote by proxy, as such body corporate may exercise if it were an individual member.

(13) The Central Government may authorise such official of the Central Government as it may deem fit to act as its representative at a general meeting, and the official so authorised shall be entitled to exercise on behalf of the Central Government the same rights and powers, including the right to vote by proxy, as the Central Government may exercise if it were an individual member.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that for the purposes of this rule,—

(a) the applicability of the procedure referred to in sub-rule (1) and the secretarial standards referred to in sub-rule (2) shall include, among other things, matters relating to notice, quorum, attendance and exercise of vote at a general meeting (including through audio-visual means, electronic voting and proxy), postal ballot, adjournment, minutes and matters incidental thereto;

(b) where the said procedure or standards provide for a procedure or standard applicable to a company in which voting through electronic means has been prescribed under section 108 of the Companies Act or a public company, the same shall, *mutatis mutandis,* be applicable to the Corporation.".

6. In the said rules, in the Schedule, after Form 2, the following forms shall be inserted, namely:—

"FORM 3

[*See* rule 28(5)(a)]

Attendance slip

_____ General Meeting on the _______ day of ________, 20___ at ____ a.m./p.m.

Number of shares held: ______

Folio number: __________

OR*

DP Id: _______

Client Id: _____________

I certify that I am a registered member/proxy for the registered member of the Life Insurance Corporation of India and hereby record my presence at the _____ General Meeting of the Life Insurance Corporation of India on the _______ day of ________, 20___ at ______ a.m. / p.m. at ________ (place).

Signature of registered member / proxy

*Applicable to investors holding shares in dematerialised form

FORM 4

[*See* rule 28(5)(b)]

Proxy form

To:

Life Insurance Corporation of India

Central Office

'Yogakshema'
Jeevan Bima Marg

Nariman Point

Mumbai – 400 021

Name of the member(s):	
Registered address:	
Email address:	
Folio number: OR* DP Id: Client Id:	

*Applicable to investors holding shares in dematerialised form

I/We, being member(s) of ________* shares of the Life Insurance Corporation of India, hereby appoint the following person—

(1) Name: ______________________________
Address: ____________________________
____
Email address: ________________________
Signature: ___________________________,

Or, in the event of his/her failing to attend,

(2) Name: ______________________________
Address: ____________________________
____
Email address: ________________________
Signature: ___________________________,

Or, in the event of his/her failing to attend,

(3) Name: ______________________________
Address: ____________________________
____
Email address: ________________________
Signature: ___________________________

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the ______ general meeting of the Life Insurance Corporation of India, to be held on the _______ day of _______________ at ______ a.m./p.m. at ________ (place), and at any adjourned meeting thereof, in respect of the resolutions indicated below:

Resolution number:

(1) ___________
(2) ___________
(3) ___________

Member(s) to affix revenue stamp and sign across the same

Signed this ______ day of _____, 20____

Signature(s) of member(s):

Signature(s) of proxy holder(s):

(1)	(2)	(3)

Note: In order to be effective, this form should be duly completed and deposited at the central office of the Corporation or such other office of the Corporation as its Board may determine, not less than forty-eight hours before the time fixed for the meeting.

* Specify the number of shares held

FORM 5

[*See* rule 28(11)(a)]

Polling paper

To:

Life Insurance Corporation of India

Central Office

'Yogakshema'
Jeevan Bima Marg

Nariman Point

Mumbai – 400 021

POLLING PAPER

S. No.	Particulars	Details
1.	Name of the first named member (in block letters)	
2.	Postal address	
3.	Folio number: OR* DP Id:	

	Client Id:	
4.	Class of share	

*Applicable to investors holding shares in dematerialised form

I hereby exercise my vote in respect of the ordinary/special resolution(s) enumerated below by recording my assent or dissent to the said resolution(s) in the following manner:

S. No.	Item number	Number of shares held by me	I assent to the resolution#	I dissent from the resolution#
1.				

Member/proxy to place a tick [✓] in the box below, to indicate his vote.

Place: _____________

Date: ______________

Signature of registered member / proxy

FORM 6

[*See* rule 28(11)(b)]

Report of scrutiniser(s)

To:

Mr/Ms _______________________________

Chairman of the ___ general meeting of members of the Life Insurance Corporation of India, held on ____ day of _______, 20___ at _____________

Dear sir/madam,

I/We, ____________________, __________________ and ____________________, appointed as scrutiniser(s) for the purpose of the poll taken on the resolution(s) enumerated below, at the _____ meeting of the members of the Life Insurance Corporation of India held on ____ day of _______, 20___ at _____________, hereby submit my/our report as under:

(1) After the time fixed for closing of the poll by the chairman, ______ ballot boxes kept for polling were locked in my/our presence, with identification marks duly placed by me/us.

(2) The locked ballot boxes were subsequently opened in my/our presence, and poll papers were scrutinised diligently and reconciled with the records maintained by the Life Insurance Corporation of India / its registrar and transfer agents and the authorisations/ proxies lodged with the Life Insurance Corporation of India.

(3) The poll papers, which were incomplete and/or which were otherwise found defective have been treated as invalid and kept separately.

OR

I/We did not find any invalid poll papers.

(4) The result of the poll is as under:

(a) Resolution ____-____

(Reproduce Item No. and heading of the Resolution)

(i) Voted **in favour** of the resolution:

Number of members present and voting (in person or by proxy)	Number of votes cast by them	% of total number of valid votes cast

(ii) Voted **against** the resolution:

Number of members present and voting (in person or by proxy)	Number of votes cast by them	% of total number of valid votes cast

(iii) Invalid votes:

Total number of members (in person or by proxy) whose votes were declared invalid	Total number of votes cast by them

(b) Resolution ____-____

(Reproduce Item No. and heading of the Resolution)

(i) Voted **in favour** of the resolution:

Number of members present and voting (in person or by proxy)	Number of votes cast by them	% of total number of valid votes cast

(ii) Voted **against** the resolution:

Number of members present and voting (in person or by proxy)	Number of votes cast by them	% of total number of valid votes cast

(iii) Invalid votes:

Total number of members (in person or by proxy) whose votes were declared invalid	Total number of votes cast by them

(c) _________*

(5) An electronic record listing in respect of each resolution the members who voted for the resolution, against the resolution and whose votes were declared invalid is sent herewith as/in __________________ #.

(6) The poll papers and all other relevant records were sealed and handed over to the Company Secretary / director authorised by the Board for safe-keeping.

Thanking you,

Yours faithfully,

Place: _____________

Date: ______________

Name(s) and signature(s) of the scrutiniser(s)

* To be enumerated depending on the number of resolutions for which poll is taken

Specify the form of the electronic record [such as an electronic attachment to report submitted in electronic form, or a pen drive, hard disk or other external data storage device {to be specified and with identification marks duly placed on it by the scrutiniser(s)} submitted with report submitted in physical form]".

[F. No. I-13011/03/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.03.04 16:15:18 +05'30'